राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1019/2025

प्रदीप कुमार मानोतिया

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त प्रशासनिक निदेशक, वित्त एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
3. मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, नीम का थाना, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 17.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनिल कुमार, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की तरफ से संशोधित अपील प्रस्तुत कर उसे रिकॉर्ड पर लेने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना। संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने दिनांक 15.1.2025 के आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान सांख्यिकी निरीक्षक, नीम का थाना, सीकर से ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, धोरीमन्ना, बाड़मेर के पद पर स्थानांतरित किया गया है और दिनांक 16.1.2025 के रिलीव आदेश को भी चुनौती दी है। (अनुलग्नक–1 व 2) अपीलार्थी को प्रारंभ में दिनांक 8.10.2018 को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नवलगढ़, झुंझुनू में सांख्यिकी निरीक्षक के पद पर

नियुक्त किया गया था। उसके बाद अपीलार्थी को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नीम का थाना में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उसने बिना किसी शिकायत के कार्यभार ग्रहण कर लिया है। (अनुलग्नक–3) ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नीम का थाना में अपनी नियुक्ति के दौरान अपीलार्थी को दिनांक 8.10.2024 के आदेश द्वारा ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, खीवसर, जिला नागौर में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालाँकि, अपीलार्थी ने विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी, जिसने अपने आदेश दिनांक 28.10.2024 द्वारा उसके स्थानांतरण आदेश दिनांक 8.10.2024 और कार्यमुक्त आदेश दिनांक 9.10.2024 के संचालन पर रोक लगा दी। इसके बाद, अपीलार्थी ने फिर से ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नीम का थाना में कार्यभार ग्रहण कर लिया। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी लगातार ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नीम का थाना, सीकर में अपनी सेवाएं दे रहा था, लेकिन उसे ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, खेवसर, नगर में स्थानांतरण आदेश की प्रतीक्षा में दिखाकर, प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को फिर से ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, धोरीमन्ना, बाड़मेर के आदेश दिनांक 15.1.2025 द्वारा स्थानांतरित कर दिया। (अनुलग्नक–5) जो उसकी वर्तमान पोस्टिंग जगह से 700 किलोमीटर से अधिक दूर है। इस प्रकार एक लंबी दूरी का स्थानांतरण निश्चित रूप से अपीलार्थी के पारिवारिक जीवन को परेशान करेगा। अपीलार्थी की माँ कैंसर से पीड़ित है और वर्तमान में कीमोथेरेपी करवा रही है और थेरेपी के दुष्प्रभावों के कारण उसे अपनी देखभाल के लिए अपीलार्थी की नियमित उपस्थिति की आवश्यकता है क्योंकि वह इसके लिए एकमात्र सक्षम व्यक्ति है। (अनुलग्नक–6)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.1.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, नीम का थाना, सीकर में ही कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा सांख्यिकी निरीक्षक, नीम का थाना, सीकर से ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, धोरीमन्ना, बाड़मेर में किया गया है। अपीलार्थी की माँ कैंसर से पीड़ित है और वर्तमान में कीमोथेरेपी करवा रही है और थेरेपी के दुष्प्रभावों के कारण उसे अपनी देखभाल के लिए अपीलार्थी की नियमित उपस्थिति की आवश्यकता है। इस स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो

सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य